न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 11 / 2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भवानीसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी लंगेरा तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर		1. बसतीदेवी पत्नी राजुसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी लंगेरा तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर 2. सवाई खत्री पुत्र भगवानदास खत्री जाति खत्री, निवासी महावीर नगर, बाड़मेर तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर 3. हरखसिंह पुत्र सादुलसिंह 4. हस्तुदेवी पत्नी सादुलसिंह जाति राजपुत, निवासी मुहडो की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. Adani Hybrid Energy Jaisalmer Four Limited 6. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.06.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम मुहड़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 20.1371 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	भवानीसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुरोहित सा. लंगेरा खातेदार	मुहड़ों की ढाणी	236	1.6761	बा.सो.	0.62	लाल
2	बसंतीदेवी पत्नी राजुसिंह जाति राजपुरोहित सा. लंगेरा खातेदार सवाई खत्री पुत्र भगवानदास खत्री सा. महावीर नगर, बाड़मेर हस्तु पत्नी सादुलसिंह, हरखसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपुत, सा. देह हरखसिंह के हिस्से में से 10.12 बीघा Adani Hybrid Energy Jaisalmer Four Limited (RSEPL Hybrid Power One Limited) कम्पनी को 1.10.2021 से 30.08.2051 तक लीज पर दी गई।	मुहड़ों की ढाणी	236	18.4610	बा.सो.	6.84	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एव नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)